धारा 3(3) के अंतर्गत जारी कागजात- जनवरी, फरवरी, मार्च 2025

स्थापना आदेश,परिपत्र, कार्यालय आदेश आदि

कुल - 13 [स्थापना आदेश-सं. 10 (1 - 10)]

क्रम सं	स्थापना आदेश संख्या	दिनांक	कार्रवाई	
1	आदेश सं-1/2025	07.01.2025	अनुवाद किया गया	MK
2	आदेश सं-2/2025	09.01.2025	अनुवाद किया गया	RCR
3	आदेश सं-3/2025	23.01.2025	अनुवाद किया गया	RCR
4	आदेश सं-4/2025	31.01.2025	अनुवाद किया गया	RCR
5	आदेश सं-5/2025	04.02.2025	अनुवाद किया गया	RCR
6	आदेश सं-6/2025	04.03.2025	अनुवाद किया गया	KM
7	आदेश सं-7/2025	12.03.2025	अनुवाद किया गया	RCR
8	आदेश सं-8/2025	17.03.2025	अनुवाद किया गया	RCR
9	आदेश सं-9/2025	19.03.2025	अनुवाद किया गया	MK
10	आदेश सं-10/2025	28.03.2025	अनुवाद किया गया	RCR

कुल - [स्थापना आदेश-सं. 3(1 - 3)]

क्रम सं	स्थापना परिपत्र	दिनांक	कार्रवाई	
1	परिपत्र 1/2025	01.01.2025	अनुवाद किया गया	RCR
2	परिपत्र 2/2025	28.01.2025	अनुवाद किया गया	RCR
3	परिपत्र 3/2025	28.03.2025	अनुवाद किया गया	RCR

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
प्रधान आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/3/39/2022-Estt. **दिनांक : 07.01.2025**

आदेश सं.: 1/2025

विषय : कर सहायक की श्रेणी में स्थानांतरण एवं तैनाती - केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय - संबन्धित।

कर सहायक की श्रेणी में निम्नलिखित स्थान्मंतरण एवं तैनाती का आदेश तत्काल प्रभाव से इस के साथ दिया जाता है |

क्रम सं.	नाम (सर्वश्री.)	जन्म तिथि	स्थानांतरित	
			..से	..को
1.	विवेक बिजु बोस	29.11.1991	मुख्यालय अनुभाग, मुख्यालय कोच्चि तथा सीआरयू कार्य हेतु श्री हरिकृष्णन ए आर का लिंक अधिकारी	सेवोत्तम एवं मुख्यालय अनुभाग, मुख्यालय कोच्चि तथा सीआरयू कार्य हेतु श्री हरिकृष्णन ए आर का लिंक अधिकारी

2. उपरोक्त आदेश का अनुपालन दिनांक 15.01.2025 तक किया जाना चाहिए तथा अनुपालन रिपोर्ट दिनांक 21.01.2025 तक इस कार्यालय में पहुंच जानी चाहिए।

3. यह आदेश सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के साथ जारी किया जाता है |

[माया कुरियन]
उप आयुक्त[का.व सत.]

सेवा में

संबन्धित व्यक्ति (पर्यवेक्षी अधिकारी के माध्यम से)

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

1. प्रधान आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि

प्रति :

1. मुख्य लेखा अधिकारी / वेतन एवं लेखा अधिकारी/प्रशासनिक अधिकारी (डी डी ओ, केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,मु., कोच्चि

2. अधीक्षक((सिस्टम्स/ सतर्कता/मुख्यालय), केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,मु. कोच्चि
3. वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,मु. कोच्चि

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
प्रधान आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM II/(3)/1/2024-Estt **दिनांक:09.01.2025**

आदेश सं.: 2/2025

विषय : निजी सचिव के कैडर में पदोन्नति-संबन्धित।

निम्नलिखित आशुलिपिक ग्रेड -1 को, ऐसे भत्ते, जो भारत सर्कार द्वार समय समय पर स्वीकृत हैं, सहित एवं 44,900-1,42,400 रुपये के वेतन मेट्रिक्स में स्तर - 7 में निजी सचिव के संवर्ग में पदोन्नत पद में कार्यभार ग्रहण की तारीख से इस के साथ पदोन्नत किया जाता है | अधिकारी को वर्तमान तैनात स्थान पर रखा जाता है |

क्रम सं.	नाम (श्रीमती)	कर्मचारी कोड	वर्तमान तैनात स्थान
1	जगादीश पिल्लै	15.05.1972	तिरुवनंतपुरम आयुक्तालय

2. उपर्युक्त अधिकारी को दिनांक **16.01.2025** को या उसके बाद तथा दिनांक **24.01.2025** तक कार्यभार ग्रहण करना चाहिए अन्यथा इस आदेश को रद्द माना जाएगा | इनकार, यदि कोई हो, तुरंत लिखित रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। उन्हें पदोन्नत पद में कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से एक माह के भीतर कार्मिक व प्रशिक्षण का.ज्ञा. दिनांक 26.09.1981, 05.07.1999 और 27.07.2017 के शर्तों के अधीन वेतन निर्धारण करने के लिए अपना विकल्प देना है । एक बार प्रयोग करने के बाद विकल्प अंतिम होगा |

3 अधिकारी के कार्यभार ग्रहण करने/ न करने के बारे में अनुपालन रिपोर्ट दिनांक **31.01.2025** तक इस कार्यालय को भेज दी जानी चाहिए।

4. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है |

[रानी सी आर]
अपर अपर आयुक्त[का व सत]

सेवा में

संबन्धित व्यक्ति (संबन्धित अधिकारी के माध्यम से)

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
2. प्रधान आयुक्त, केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
3. प्रधान आयुक्त, केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम

प्रति :

1. अधीक्षक(सत॰ /गोपनीय/ ई डी पी/जन संपर्क अधिकारी), केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, मु. कोच्चि
2. मुख्य लेखा अधिकारी / वेतन एवं लेखा अधिकारी/ प्रशासनिक अधिकारी (डी डी ओ), केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, मु. तिरुवनंतपुरम
3. वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी, केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, मु. कोच्चि

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
प्रधान आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/24/2020-ESTT

आदेश सं.: 3/2025

विषय : - केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,तिरुवनंतपुरम क्षेत्र के अधीक्षक के कैडर में स्थानांतरण एवं तैनाती - संबन्धित।

केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, **तिरुवनंतपुरम क्षेत्र के अधीक्षक के कैडर में** निम्नलिखित स्थानांतरण और तैनातियों का आदेश तत्काल प्रभाव से इस के साथ दिया जाता है।

क्रम सं.	नाम (सर्वश्रीमती)	जन्म तिथि	...से	... को
1.	बरदा प्रसन्ना दास मल्लिक	15.07.1978	प्रतिनियुक्ति से वापस आने पर	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि
2.	शत्रुघन कुमार	02.01.1989	पदोन्नति पर	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोळिक्कोड़
3.	मल्लजीत सोनोवाल	26.12.1983	पदोन्नति पर	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, कोच्चि

2. नियंत्रण अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि अधिकारी द्वारा उचित तौर पर कार्यमुक्त /कार्य सौंपने से सम्बंधित नोट आपस में आदान प्रदान करने के बाद ही उनको कार्यमुक्त किया जा रहा है ताकि निर्विघ्न परिवर्तन सुनिश्चित हो सके | अधिकारियों को दिनांक **31.01.2025** तक उनके वर्तमान तैनाती स्थान से मुक्त किया जाना है। यदि अधिकारी निर्धारित समय में कार्यमुक्त नहीं होते हैं तो नियंत्रण अधिकारी जिम्मेदार होंगे।

3. यह आदेश केंद्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क प्रधान मुख्य आयुक्त, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र के अनुमोदन से जारी किया जाता है |

5. नियंत्रण अधिकारियों को दिनांक **04.02.2025** तक अनुपालन रिपोर्ट देनी है।

[रानी सी आर]
अपर आयुक्त(का व सत)

सेवा में

संबन्धित व्यक्ति (संबन्धित पर्यवेक्षी अधिकारी के माध्यम से)

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

1. प्रधान मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
2. प्रधान आयुक्त केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय
3. आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोयिक्कोड

प्रति

1. मुख्य लेखा अधिकारी / वेतन एवं लेखा अधिकारी, केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,मु.कोच्चि/ कोयिक्कोड
2. प्रशासनिक अधिकारी (डी डी ओ), अधीक्षक (गोपनीय/सतर्कता) केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,मु.कोच्चि/ कोयिक्कोड
3. अधीक्षक (सिस्टम्स) वेबसाइट में अपलोड करने हेतु।
4. हिंदी कक्ष - हिंदी रूपांतर हेतु |

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
प्रधान आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/36/2020-ESTT

आदेश सं.: 4/2025

विषय : केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र, अधीक्षक के संवर्ग में पदोन्नति-संबन्धित।

निम्नलिखित केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक को,ऐसे भत्ते,जो लागू हो सकते हैं, सहित एवं पूर्व-संशोधित वेतनमान पर ग्रेड वेतन -4,800 / -सहित वेतन बैंड 9,300-34,800 रुपये(वेतन बैंड -2) के अनुरूप, वेतन मेट्रिक्स स्तर - 8 में, समूह 'ख' पद, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधीक्षक के संवर्ग में तदर्थ और इन-सीटू आधार पर उच्च पद में कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से एवं आगे के आदेश तक इस के साथ पदोन्नत किया किया जाता है |

क्रम सं.	नाम (सर्वश्री / श्रीमती)	जन्म तिथि
1	अनुराधा कुमरी	19.03.1986

2. चूंकि अधिकारी डीजीजीआई पटना में ऋण के आधार पर काम कर रहा है, इसलिए अधिकारी को एफ.सं.ए-11013/18/2024-एडी.IV दिनांक 29.11.2024 में बोर्ड के निर्देशों के अनुसार निदेशालय में अधीक्षक के पद पर रिक्ति की उपलब्धता के अधीन ऋण कार्यकाल की शेष अवधि के लिए पदोन्नति का लाभ दिया जाता है। यदि रिक्ति उपलब्ध नहीं है, तो पदोन्नत अधिकारी को शेष ऋण अवधि के लिए निरीक्षक के रूप में काम करने की अनुमति दी जा सकती है। ऊपर उल्लिखित अधिकारी को उच्च पद पर दिनांक **01.02.2025** को या उसके बाद और दिनांक **10.02.2025** तक कार्यग्रहण करना चाहिए |

3. निरीक्षकों की अधीक्षक के ग्रेड में पदोन्नति ओपी (सीएटी) संख्या 4305/2011, ओपी (सीएटी) 999/2012, ओपी (सीएटी) संख्या 998/2012, ओपी (सीएटी) संख्या 968/2012, सीएटी (ईबी) में ओए सं. 180/00806/2014, सीएटी एर्णाकुलम बेंच की ओए सं.523/2023,527/2023, 543/2023 और हरिहरन बनाम हर्षवर्धन मामले में एसएलपी (सी) संख्या 16161/2018 से उत्पन्न सिविल अपील में निर्णय जो अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय की बड़ी पीठ के पास लंबित है और संबंधित न्यायालयों/न्यायाधिकरणों में अन्य लंबित मामले में उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 28.03.2012 के खिलाफ विभाग द्वारा दायर एसएलपी संख्या 20810/2012 के परिणाम के अधीन है।

4. अधिकारी के कार्यभार ग्रहण करने/ न करने के बारे में अनुपालन रिपोर्ट दिनांक **14.02.2025** तक इस कार्यालय को भेज दी जानी चाहिए ।

5. यह आदेश प्रधान आयुक्त के अनुमोदन से जारी किया जाता है |



[रानी सी आर]
अपर आयुक्त[का व सत]

सेवा में

संबन्धित व्यक्ति (संबन्धित अधिकारी के माध्यम से)

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
2. प्रधान आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
3. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम ,
4. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोयिक्कोड
5. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, अपील आयुक्तालय कोच्चि ,
6. सीमा शुल्क निवारक आयुक्त कोचिन ,
7. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, लेखा परीक्षा आयुक्तालय कोच्चि ,
8. अपर महा निदेशक,डीजीजीआई /डीआरआई, क्षेत्रीय इकाई, कोच्चि
9. अपर महा निदेशक,डीजीजीआई, पटना

प्रति

1. प्रशासनिक अधिकारी)डीडीओ ,(अधीक्षक) गोप/.सत ,(.कोयिक्कोड
2. अधीक्षक (सिस्टम्स) वेबसाइट में अपलोड करने हेतु ।
3. हिंदी कक्ष - हिंदी रूपांतर हेतु

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
प्रधान आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/24/2020-ESTT

आदेश सं.: 05/2025

विषय : -केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय के अधीक्षक के कैडर में स्थानांतरण एवं तैनाती - संबन्धित।

केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र के अधीक्षक के कैडर में निम्नलिखित स्थानांतरण और तैनातियों का आदेश तत्काल प्रभाव से इस के साथ दिया जाता है।

क्रम सं.	अधिकारी का नाम (सर्वश्री /श्रीमती)	पदनाम	...से	... को
1.	बरदा प्रसन्ना दास मल्लिक	अधीक्षक	कोच्चिं आयुक्तालय में स्थानांतरण के आदेश के तहत(प्रतिनियुक्ति से प्रत्यावर्तन पर)	बकाया /प्रशिक्षण अनुभाग, मु.कोच्चि
2.	मल्लजीत सोनोवाल	अधीक्षक	कोच्चि आयुक्तालय में स्थानांतरण के आदेश के तहत(पदोन्नति पर)	लेखा परीक्षा अनुभाग, मु.कोच्चि
3.	राधा विजयराघवन	अधीक्षक	लेखा परीक्षा अनुभाग, मु.कोच्चि	चालक्कुडी मंडल
4.	प्रबोध एस	अधीक्षक	सत्यापान कक्ष, मु.कोच्चि	सत्यापान कक्ष/ सूचना अधिकार, मु.कोच्चि
5.	बिजु एम आर	अधीक्षक	डीजीएआरएम/ सूचना अधिकारम मु.कोच्चि	डीजीएआरएम, मु.कोच्चि
6.	सुमीत कुमार रंजन	निरीक्षक	समीक्षा कक्ष, मु.कोच्चि	सिस्टम्स अनुभाग, मु.कोच्चि

2. नियंत्रण अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि अधिकारी द्वारा उचित तौर पर कार्यमुक्त /कार्य सौंपने से सम्बंधित नोट आपस में आदान प्रदान करने के बाद ही उनको कार्यमुक्त किया जा रहा है ताकि निर्विघ्न परिवर्तन सुनिश्चित हो सके | अधिकारियों को दिनांक **07.02.2025** तक उनके वर्तमान तैनाती स्थान से मुक्त किया जाना है। यदि अधिकारी निर्धारित समय में कार्यमुक्त नहीं होते हैं तो नियंत्रण अधिकारी जिम्मेदार होंगे।

3. क्रमांक 6 के अधिकारी को 10 फरवरी 2025 को या उसके बाद राहत दी जा सकती है

4. यह आदेश केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय के प्रधान आयुक्त के अनुमोदन से जारी किया जाता है |

5. नियंत्रण अधिकारी को दिनांक **12.02.2025** तक अनुपालन रिपोर्ट देनी है।

[रानी सी आर]
अपर आयुक्त[का व सत]

सेवा में

संबन्धित व्यक्ति(संबन्धित पर्यवेक्षी अधिकारी के माध्यम से)

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

1. प्रधान आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय

प्रति

1. सहायक आयुक्त, चालक्कुडी मंडल
2. मुख्य लेखा अधिकारी / वेतन एवं लेखा अधिकारी, केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,मु.कोच्चि
3. प्रशासनिक अधिकारी (डी डी ओ), अधीक्षक (गोपनीय/सतर्कता) केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,मु.कोच्चि
4. अधीक्षक (सिस्टम्स) वेबसाइट में अपलोड करने हेतु।
5. हिंदी कक्ष - हिंदी रूपांतर हेतु |

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
प्रधान आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/36/2020-ESTT

आदेश सं.: 06 / 2025

विषय : केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र, अधीक्षक के संवर्ग में पदोन्नति-संबन्धित।

निम्नलिखित केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षकों को,ऐसे भत्ते,जो लागू हो सकते हैं, सहित एवं पूर्व-संशोधित वेतनमान पर ग्रेड वेतन -4,800 / -सहित वेतन बैंड 9,300-34,800 रुपये(वेतन बैंड -2) के अनुरूप, वेतन मेट्रिक्स स्तर - 8 में, समूह 'ख' पद, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधीक्षक के संवर्ग में तदर्थ और इन-सीटू आधार पर उच्च पद में कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से एवं आगे के आदेश तक इस के साथ पदोन्नत किया किया जाता है |

क्रम सं.	नाम (सर्वश्री / श्रीमती)	जन्म तिथि
1	रवींद्र मारुती पाल्कर	16.08.1982
2	विपिन यादव	02.10.1986
3	परदीप कुमार	20.03.1991
4	निशांत सक्सेना	28.08.1990
5	अजीत कुमार गुप्ता	07.09.1990

2. निरीक्षकों की अधीक्षक के ग्रेड में पदोन्नति ओपी (सीएटी) संख्या 4305/2011, ओपी (सीएटी) 999/2012, ओपी (सीएटी) संख्या 998/2012, ओपी (सीएटी) संख्या 968/2012, सीएटी (ईबी) में ओए सं. 180/00806/2014, सीएटी एर्णाकुलम बेंच की ओए सं.523/2023,527/2023, 543/2023 और हरिहरन बनाम हर्षवर्धन मामले में एसएलपी (सी) संख्या 16161/2018 से उत्पन्न सिविल अपील में निर्णय जो अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय की बड़ी पीठ के पास लंबित है और संबंधित न्यायालयों/न्यायाधिकरणों में कोई अन्य लंबित मामले में उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 28.03.2012 के खिलाफ विभाग द्वारा दायर एसएलपी संख्या 20810/2012 के अंतिम परिणाम के अधीन है।

3. क्रमांक 1 और 2 के अधिकारी तत्काल तथा दिनांक 10.03.2025 के बाद कार्यभार ग्रहण नहीं कर सकते। अन्य अधिकारी 01.03.2025 को या उसके बाद तथा दिनांक 10.03.2025 को या उससे पहले कार्यग्रहण करेंगे । चूंकि क्रमांक 2,4 और 5 में सूचित अधिकारी तिरुवनंतपुरम क्षेत्र के बाहर प्रतिनियुक्ति के आधार पर तैनात हैं, इसलिए वे मूल क्षेत्र में फिर से शामिल होने के बाद ही अधीक्षक का कार्यभार संभालेंगे, और वह भी दिनांक 10.03.2025 को या उससे पहले |

4. अधिकारी के कार्यभार ग्रहण करने/ न करने के बारे में अनुपालन रिपोर्ट दिनांक 12.03.2025 तक इस कार्यालय को भेज दी जानी चाहिए ।

5. यह आदेश प्रधान आयुक्त के अनुमोदन से जारी किया जाता है |

[कोमीशेट्टी मुरलीधर]
संयुक्त आयुक्त

//अनुप्रमाणित//

टोजो डेविज़/TOJO DAVIS
अधीक्षक/SUPERINTENDENT
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
CENTRAL EXCISE

सेवा में

संबन्धित व्यक्ति (संबन्धित अधिकारी के माध्यम से)

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
2. अपर महानिदेशक, प्रवर्तन महानिदेशालय, कमरा सं.111, 'ए' ब्लाक, प्रवर्तन भवन, डॉ ए पी जे अब्दुल कलाम रोड, नई दिल्ली -110011
3. अपर महानिदेशक, जीएसटी आसूचना महानिदेशालय, पश्चिम ब्लाक 8, शाखा 6, दूसरी मंजिल, आर के पुरम, नई दिल्ली -110066
4. प्रधान आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
5. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम/, कोयिक्कोड/ ले प कोच्चि /अपील
6. सीमा शुल्क निवारक आयुक्त कोचिन ,

प्रति

1. मुख्य लेखा अधिकारी /वेतन एवं लेखा अधिकारी , केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि / तिरुवनंतपुरम/, कोयिक्कोड
2. प्रशासनिक अधिकारी)डीडीओ ,(अधीक्षक) गोप/.सत कोच्चि / तिरुवनंतपुरम/, कोयिक्कोड
3. अधीक्षक (सिस्टम्स) वेबसाइट में अपलोड करने हेतु ।
4. हिंदी कक्ष - हिंदी रूपांतर हेतु

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
प्रधान आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/41/2020-Estt **दिनांक : 12.03.2025**

आदेश सं.: 7/ 2025

विषय:केंद्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि आयुक्तालय के उप /सहायक आयुक्तों के बीच कार्य आवंटन - संबन्धित।

मुख्य आयुक्त, केंद्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र द्वारा दिनांक 27.01.2025 को कार्यालय आदेश संख्या 01/2025 (डीजीएचआरडी/एसी-डीसी/13/2025) जारी करने के परिणामस्वरूप, केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय के उप/सहायक आयुक्तों के बीच निम्नलिखित कार्य आवंटन/लिंक अधिकारियों का आदेश दिया जाता है।

क्रम सं.	अधिकारी का नाम (सर्वश्री/श्रीमती)	सौंपे गए प्रभार	प्रथम लिंक	द्वितीय लिंक
1	माया कुरियन	का.व सत., प्रशासन, लेखा एवं सिस्टम्स	शरतचंद्रन एम	शांति वी
2	आर षैजु	न्यायनिर्णयन	के पी सुरेश कुमार	शरतचंद्रन एम
3	रंजित शांतकुमार	समीक्षा,आधारिक संरचना, कल्याण, खेल एवं मुख्यालय	शुभा चंद्रन	राजा टोमी
4	शुभा चंद्रन	कर बकाया वसूली	राजा टोमी	रंजित शांतकुमार
5	शरतचंद्रन एम	अपवंचनरोधी, मुकदमा, सत्यापन कक्ष, तकनीकी, ससंद प्रश्न एवं सांख्यिकी	माया कुरियन	शुभा चंद्रन
6	राजा टोमी	सीआरयू, राजभाषा कार्यान्वयन समिति, सूचना अधिकार (केंद्रीय जन सूचना अधिकारी), प्रशिक्षण एवं सवोत्तम	शांति वी	के पी सुरेश कुमार
7	शांति वी	विधिक	रंजित शांतकुमार	माया कुरियन
8	के पी सुरेश कुमार	डीजीएआरएम और लेखा परीक्षा	आर षैजु	शुभा चंद्रन
9	माया चंद्रन	आलुवा मंडल	बीना वास एस	रामस्वामी एस
10	सुदर्शन नानासाहेब सोनावने	एर्णाकुलम मंडल	रामस्वामी एस	मेरीकुट्टी चाको

11	रामस्वामी एस	काक्कनाड़ मंडल	मेरीकुट्टी चाको	सुदर्शन नानासाहेब सोनावने
12	बीना वास एस	चालक्कुडी मंडल	शशिधरन	माइकल टी एच
13	शशिधरन	त्रिश्शूर मंडल	माया चंद्रन	बीना वास एस
14	मेरीकुट्टी चाको	पेरुम्बावूर मंडल	माइकल टी एच	शशिधरन
15	माइकल टी एच	इडुक्की मंडल	मेरीकुट्टी चाको	रामस्वामी एस

2. सौंपे गए कार्यभार के अतिरिक्त, अधिकारी नियंत्रण अधिकारी द्वारा समय-समय पर सौंपे गए अन्य कार्य भी करेगा।

3. यह केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क प्रधान आयुक्त, कोच्चि के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

[रानी सी आर]

अपर आयुक्त[का व सत]

सेवा में

संबन्धित व्यक्तियां

प्रतिलिपि प्रस्तुत है :-

मुख्य आयुक्त, केंद्रीय कर, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र

प्रतिलिपि:-

1. सभी अपर/ संयुक्त आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि आयुक्तालय।
2. सभी उप सहायक आयुक्त/,केंद्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि आयुक्तालय।
3. केंद्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क मुख्यालय, कोच्चि के सभी अनुभाग प्रमुख |
4. अधीक्षक) सिस्टम्स(केकर एवं . केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,मु .कोच्चि – वेबसाइट में अपलोड करने हेतु|

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
प्रधान आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/3/39/2022-Estt. **दिनांक : 17.03.2025**

आदेश सं.: 8 / 2025

विषय : कार्यकारी सहायक / कर सहायक / हेड हवलदार /हवलदार की श्रेणियों में स्थानांतरण एवं तैनातियां - केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र - संबन्धित।

कार्यकारी सहायक / कर सहायक / हेड हवलदार /हवलदार की श्रेणियों में निम्नलिखित स्थानांतरण एवं तैनातियों का आदेश तत्काल प्रभाव से इस के साथ दिया जाता है |

क्रम सं.	नाम (सर्वश्री./श्रीमती)	जन्म तिथि	स्थानांतरित	
			..से	..को
1.	जिनी रसाक वी ए कार्यकारी सहायक	23.06.1989	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि लेखा परीक्षा आयुक्तालय, कोच्चि	सीसीओ-सीसीए
2.	किरण जी पिल्लै कर सहायक	14.10.1990	सीसीओ-सीसीए	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि लेखा परीक्षा आयुक्तालय, कोच्चि
3.	राम कृष्ण मेकला हवलदार	14.05.1998	सीमा शुल्क (निवारक) कोचिन	सीसीओ-सीसीए
4.	जोस एंटणी हेड हवलदार	15.04.1972	(हवाई अड्डा /यूबी/आई व ई, तिरुवनंतपुरम), सीमा शुल्क (निवारक) कोचिन को स्था. आदेशा के अधीन	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय में ही रखा गया

2. उपरोक्त आदेश का अनुपालन दिनांक 24.03.2025 तक किया जाना चाहिए तथा अनुपालन रिपोर्ट दिनांक 28.03.2025 तक इस कार्यालय में पहुंच जानी चाहिए।

3. यह आदेश मुख्य आयुक्त, केंद्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र के अनुमोदन के साथ जारी किया जाता है |

[रानी सी आर]
अपर आयुक्त[का.व सत.]

सेवा में

संबन्धित व्यक्ति (पर्यवेक्षी अधिकारी के माध्यम से)

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

1. मुख्य आयुक्त, केंद्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
2. प्रधान आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
3. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,लेखा परीक्षा, कोच्चि
4. सीमा शुल्क आयुक्त, सीमा शुल्क निवारक, कोचिन

प्रति :

1. मुख्य लेखा अधिकारी / वेतन एवं लेखा अधिकारी/प्रशासनिक अधिकारी (डी डी ओ, केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,मु., कोच्चि
2. अधीक्षक((सिस्टम्स/ सतर्कता), केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,मु. कोच्चि
3. वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,मु. कोच्चि

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
प्रधान आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/12/2024-ESTT **दिनांक : 18.03.2025**

आदेश सं.: 9 / 2025

विषय : -हेड हवलदार के श्रेणी में स्थानांतरण एवं तैनाती - केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय - संबन्धित।

केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क हेड हवलदार के श्रेणी में निम्नलिखित स्थानांतरण और तैनाती का आदेश तत्काल प्रभाव से इस के साथ दिया जाता है।

क्रम सं.	नाम व पदनाम (सर्वश्री)	जन्म तिथि	...से	... को
1.	जोस एंटणी, हेड हवलदार	15.04.1972	काक्कनाड मंडल	मुख्यालय कोच्चि

2. उपरोक्त आदेश का अनुपालन दिनांक 21.03.2025 तक किया जाना चाहिए तथा अनुपालन रिपोर्ट दिनांक 25.03.2025 तक इस कार्यालय में पहुंच जानी चाहिए।
3. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है |

[माया कुरियन]
उप आयुक्त[का व सत]

सेवा में

संबन्धित व्यक्तियां (संबन्धित पर्यवेक्षी अधिकारियों के माध्यम से)

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

1. प्रधान आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि

प्रति

1. मुख्य लेखा अधिकारी / वेतन एवं लेखा अधिकारी/ प्रशासनिक अधिकारी (डी डी ओ), केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,मु.कोच्चि
2. केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि आयुक्तालय के मंडल कार्यालयों के प्रभारी प्रशासनिक अधिकारी (डी डी ओ)
3. अधीक्षक (सिस्टम्स /सत.)/मुख्यालय, केन्द्रीय कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि

4. वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी, केन्द्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क,कोच्चि |

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
प्रधान आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

फाइल सं.II/(3)/APPT/25/2020 - ESTT

आदेश सं.: 10 / 2025

विषय : केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र के अधीक्षक के संवर्ग में प्रोफोर्मा पदोन्नति- संबन्धित।

निम्नलिखित केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक, जो वर्तमान में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हैं, को दिनांक 04.03.2025 से अर्थात पदोन्नति के आदेश की तिथि से लागू होने वाले भत्ते सहित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-8 में समूह 'ख' पद, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधीक्षक के ग्रेड में प्रोफार्मा पदोन्नति प्रदान की गई है।

क्रम सं.	नाम (सर्वश्री / श्रीमती)	वर्तमान तैनाती स्थान	वह समय सीमा जिसके भीतर अधिकारी को मूल कैडर में पुनः शामिल होना चाहिए
1	अजीत कुमार गुप्ता	प्रवर्तन निदेशालय, नई दिल्ली	27.02.2027

2. प्रतिनियुक्ति पर काम करने वाला उपरोक्त अधिकारी, मूल संवर्ग में संरक्षित अधीक्षक संवर्ग में अपनी वरिष्ठता और वेतन के साथ उधार लेने वाले संगठन में निचले पद पर काम करना जारी रख सकता है |

3. वरिष्ठता के प्रयोजन के लिए पदोन्नति की प्रभावी तिथि, पदोन्नति के आदेश की तिथि (अर्थात 04.03.2025) ही रहेगी।

4. प्रोफार्मा पदोन्नति का विकल्प चुनने वाले उपर्युक्त अधिकारी को अनुमोदित अवधि से आगे प्रतिनियुक्ति अवधि में विस्तार की अनुमति नहीं दी जाएगी।

5. यदि अधिकारी प्रोफार्मा पदोन्नति का विकल्प नहीं चुनता है या नियमित पदोन्नति स्वीकार करने के लिए वापस नहीं आता है, तो यह माना जाएगा कि अधिकारी ने पदोन्नति से इनकार कर दिया है।

6. यह आदेश केंद्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क मुख्य आयुक्त के अनुमोदन से जारी किया जाता है |

[रानी सी आर]
अपर आयुक्त[का व सत]

सेवा में

संबन्धित व्यक्ति (संबन्धित अधिकारी के माध्यम से)

प्रतिलिपि प्रस्तुत है

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
2. अपर महानिदेशक, प्रवर्तन निदेशालय, कमरा सं.111, 'ए' ब्लाक, प्रवर्तन भवन, डॉ ए पी जे अब्दुल कलाम रोड, नई दिल्ली -110011
3. प्रधान आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि

प्रति :

1. संयुक्त निदेशक, प्रवर्तन निदेशालय, इलाहाबाद उप -क्षेत्रीय कार्यालय, 6वीं मंजिल,सी टीओ कंपाउंड, सिविल लाइन्स, नवाब यूसुफ रोड, प्रयागराज -211001
2. अधीक्षक (सिस्टम्स) वेबसाइट में अपलोड करने हेतु ।
3. हिंदी कक्ष - हिंदी रूपांतर हेतु

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
प्रधान आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II(3)/2/2024 - ESTT

परिपत्र

विषय : - एजीटी (वार्षिक सामान्य स्थानान्तरण) 2025 - तिरुवनंतपुरम क्षेत्र के अधीन कार्यरत अधिकारियों द्वारा ईसेवानिधि एप में डेटा का अद्यतन - सम्बंधित |

तिरुवनंतपुरम क्षेत्र के अधीन कार्यरत ग्रुप 'ख' और ग्रुप 'ग' कैडरों के सभी अधिकारियों से अनुरोध है कि वे अपने व्यक्तिगत डेटा और तैनाती के इतिहास को तुरंत eSevanidhi एप्लिकेशन (eSevanidhi.in/login) में अपडेट करें। एप्लिकेशन में लॉग इन करने के लिए, अधिकारी अपने उपयोगकर्ता नाम के रूप में अपने पैन नंबर और पहले बनाए गए पासवर्ड का उपयोग कर सकता है। नए पंजीकृत अधिकारियों के लिए,डिफ़ॉल्ट पासवर्ड 'cca2023' है | अधिकारियों के लिए यह आवश्यक है कि वे लॉगिन स्क्रीन के ऊपरी दाएँ ड्रॉप डाउन मेनु में उपलब्ध 'चेंज पासवर्ड' विकल्प का उपयोग करके अपना पासवर्ड बदलें।

2. चूंकि अधिकारियों के व्यक्तिगत डेटा और तैनाती के इतिहास को विभाग के पास उपलब्ध डेटा से माइग्रेट किया गया है, इसलिए सभी अधिकारियों से अनुरोध किया गया कि वे एजीटी 2022 के समय के अपने व्यक्तिगत डेटा और तैनाती के इतिहास को सत्यापित करें और जहां भी आवश्यक हो, आवश्यक परिवर्तन करें। हालांकि, बाद के वर्षों में एजीटी के लिए आवेदनों पर कार्रवाई करते समय, यह देखा गया कि कुछ अधिकारियों ने अपने डेटा को ठीक से अपडेट नहीं किया था। इसलिए सभी अधिकारियों से अनुरोध है कि वे अपने व्यक्तिगत डेटा और तैनाती के इतिहास को देखें और इसे ठीक से अपडेट करें। जिन फील्डों (सूचनाक्षेत्रों) में 'माइग्रेटेड' दिखाया गया है, वहां उपलब्ध ड्रॉप डाउन मेनु से सही डेटा दर्ज किया जाना चाहिए। 'ऑफिसर' मॉड्यूल के अंतर्गत विभिन्न ड्रॉप डाउन मेनु का विवरण इस परिपत्र के अनुबंध में दिया गया है। **डेटा को अद्यतन करने /जोड़ने के बाद, अधिकारी को संपूर्ण डेटा की सत्यता की पूरी तरह से जांच करनी चाहिए।**

3. डेटा को संपादित और अद्यतन करने के बाद, इसे सत्यापन अधिकारी को सत्यापन के लिए प्रस्तुत किया जा सकता है, जो संबंधित प्रभाग/मुख्यालय का प्रशासनिक अधिकारी होगा। सत्यापन हेतु डेटा प्रस्तुत करने के लिए, अधिकारी को 'AGT' मॉड्यूल पर जाना होगा और ड्रॉप डाउन में 'मेसेज' का चयन करना होगा। 'ऐड मेसेज' बटन पर क्लिक करें, ड्रॉप डाउन मेनु से संबंधित सत्यापन अधिकारी का चयन करें, सत्यापन के लिए अनुरोध करते हुए एक संदेश टाइप करें और उसे 'सेव' करें । यदि ड्रॉप डाउन मेनु में प्रशासनिक अधिकारी का नाम उपलब्ध नहीं है, तो मामले को अद्यतन करने के लिए कोच्चि आयुक्तालय के स्थापना अनुभाग को सूचित किया जा सकता है।

4. प्रशासनिक अधिकारियों को अपने लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करके लॉगिन करना होगा और प्राप्त सत्यापन अनुरोधों को 'सीसीए' मॉड्यूल के 'वेरिफिकेशन' ड्रॉप डाउन मेनु में देखा जा सकता है।

प्राप्त अनुरोधों की सत्यता की जांच अधिकारी की सेवा पुस्तिका में उपलब्ध आंकड़ों से की जानी चाहिए। यदि, जिस अधिकारी से अनुरोध प्राप्त हुआ है वह उसके प्रभार में नहीं है या उसे समुचित रूप से अद्यतन नहीं किया गया है, तो अनुरोध, उस अधिकारी को वापस किया जा सकता है। सभी प्रशासनिक अधिकारियों से अनुरोध है कि वे अपने विवरण के साथ-साथ अग्रेषण अधिकारी (संबंधित प्रभाग/मुख्यालय के उप/सहायक आयुक्त) के विवरण को भी वेरिफिकेशन /फोर्वार्डिंग (सत्यापन/अग्रेषण) मॉड्यूल में अद्यतन करवा लें।

5. **व्यक्तिगत डेटा और तैनाती के इतिहास का प्रस्तुतीकरण/सत्यापन 21.01.2025 तक पूरा किया जाना चाहिए।**

6. इस सत्यापन प्रक्रिया के पूरा होने के बाद, एजीटी प्रोफार्मा को ऑनलाइन भरने के लिए अधिकारियों के लिए एनुअल जनरल ट्रान्सफर (वार्षिक सामान्य स्थानांतरण) मॉड्यूल सक्रिय हो जाएगा।

7. यदि आवश्यक हो तो व्यक्तिगत डेटा और तैनाती के इतिहास को अद्यतन करने के लिए सहायता प्राप्त करने के लिए अधिकारी स्थापना/सिस्टम अनुभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों से संपर्क कर सकते हैं।

8. गलत / अपूर्ण डेटा जमा करने को गंभीरता से लिया जाएगा। डेटा को अपडेट करने में अधिकारियों द्वारा और डेटा के सत्यापन के दौरान प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा उचित सावधानी बरती जानी चाहिए।

[रानी सी.आर.]
अपर आयुक्त[का व सत]

प्रति प्रस्तुत है :

1. **मुख्य आयुक्त, केंद्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र**
2. **आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि/ तिरुवनंतपुरम/कोयिक्कोड/ लेखा परीक्षा,कोच्चि /अपील कोच्चि/ सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय**
3. **प्रधान अपर महानिदेशक /अपर महानिदेशक, डीआरआई क्षेत्रीय इकाई, कोच्चि / डीजीजीआई क्षेत्रीय इकाई, कोच्चि / नासिन, कोच्चि**

प्रति

1. **केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम/कोयिक्कोड/ लेखा परीक्षा,कोच्चि /अपील कोच्चि/ सीमा शुल्क (निवारक)/ अपील कोच्चि आयुक्तालयों के अपर /संयुक्त आयुक्त**
2. **केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि/ तिरुवनंतपुरम/कोयिक्कोड/ लेखा परीक्षा,कोच्चि /अपील कोच्चि/ सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय के मंडल कार्यालयों के प्रभारी उप /सहायक आयुक्त**
3. **केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि/ तिरुवनंतपुरम/कोयिक्कोड/ लेखा परीक्षा,कोच्चि /अपील कोच्चि/ सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय के सभी डीडीओ**
4. **मुख्यालय, कोच्चि के सभी अनुभाग प्रधान**
5. **केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र के सभी कर्मचारी संघों के सभी महा सचिव**
6. **अधीक्षक (सिस्टम्स), मुख्यालय, कोच्चि [वेबसाइट में अपलोड करने हेतु]**
7. **हिंदी कक्ष [हिंदी रूपांतर हेतु]**
8. **सूचना पट्ट, मुख्यालय, कोच्चि**

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
प्रधान आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II(3)/27/2024 - ESTT

परिपत्र 2 (एजीटी 2025)

विषय : - तिरुवनंतपुरम क्षेत्र के केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालयों में एजीटी (वार्षिक सामान्य स्थानान्तरण) 2025 - सम्बंधित |

ई-सेवानिधि ऐप में डेटा अपडेट करने के संबंध में इस कार्यालय के दिनांक 01.01.2025 के परिपत्र के क्रम में, वार्षिक सामान्य स्थानांतरण 2025 में विचार हेतु अधिकारियों द्वारा विकल्प प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित निर्देश जारी किए जाते हैं।

2. अधिकारियों के लिए एजीटी प्रोफार्मा ऑनलाइन भरने हेतु ई-सेवानिधि ऐप में वार्षिक सामान्य स्थानांतरण मॉड्यूल सक्रिय कर दिया गया है। सभी अधिकारियों को निर्देश दिया जाता है कि वे अपने स्थानांतरण/प्रतिधारण अनुरोध प्रोफार्मा में प्रस्तुत करें, जो वार्षिक सामान्य स्थानांतरण, 2025 में उनके मामलों पर विचार करने के लिए वेबसाइट 'http://esevanidhi.in' पर उपलब्ध कराया गया है। ई-सेवानिधि एप्लीकेशन में लॉग इन करने के बाद, अधिकारी होम स्क्रीन में उपलब्ध एजीटी मॉड्यूल से एजीटी एप्लीकेशन तक पहुंच सकते हैं। एजीटी(AGT) मॉड्यूल में, निम्नलिखित ड्रॉप डाउन मॉड्यूल उपलब्ध हैं।

(i) एजीटी(AGT)

इस ड्रॉप डाउन मॉड्यूल में अधिकारियों द्वारा एजीटी 2025 में विचार के लिए अभ्यावेदन दिया जा सकता है।) एजीटी '(AGT)' पर क्लिक करने के बाद, AGT प्रोफार्मा तक पहुंच प्राप्त करने के लिए 'Add application' का चयन किया जाना है। यहां अधिकारी निम्नलिखित प्राथमिकताएं दे सकते हैं:

- यदि आईसीटी के लिए इच्छुक हों तो आयुक्तालयों के लिए विकल्प
- वर्तमान स्टेशन पर ही बने रहना या अन्य स्टेशनों का विकल्प
- प्रतिधारण/ विशिष्ट स्टेशन के लिए अनुरोध का कारण / यदि कोई चिकित्सा समस्या है, तो उसे यहाँ दिया जा सकता है
- हवाई अड्डों के स्थान का विकल्प
- क्या पहले हवाई अड्डा/यूबी/एसीसी(आई&ई) में काम किया है
- डीजीजीआई कार्यालयों के लिए इच्छा
- डीआरआई कार्यालयों के लिए इच्छा
- नासिन कोच्चि के लिए इच्छा
- कवरत्ती रेंज, लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश के लिए इच्छा

(ii) पिछले आवेदन

यहां अधिकारी अपने पिछले AGT आवेदन देख सकते हैं |

(iii) आवेदन जमा करो

अधिकारी एजीटी आवेदन को सेव कर सकते हैं और उसमें संपादन कर सकते हैं। एक बार आवेदन जमा हो जाने के बाद उसमें कोई संपादन नहीं किया जा सकता। सबमिट करने के बाद, आवेदन स्वचालित रूप से सत्यापन के लिए चला जाता है।

3. सभी अधिकारियों को अनिवार्य रूप से अपना अनुरोध ऑनलाइन देने का निर्देश दिया जाता है क्योंकि आज तक प्राप्त सभी अभ्यावेदनों का निपटारा कर दिया गया है। जो अधिकारी स्थानांतरण प्रपत्र प्रस्तुत नहीं करते हैं, उनके बारे में यह माना जाएगा कि वे तिरुवनंतपुरम क्षेत्र के अधिकार क्षेत्र में कहीं भी तैनात होने के इच्छुक हैं।

4. स्थानांतरण आदेश जारी करते समय स्थानांतरण प्रपत्र में दिए गए विकल्पों पर विचार किया जाएगा। यदि अधिकारी अपना विकल्प नहीं चुनते हैं तो यह माना जाएगा कि रिक्तियों की उपलब्धता के अनुसार उनकी नियुक्ति पर विचार किया जा सकता है।

5. सत्यापन के पश्चात् प्रशासनिक अधिकारी को आवेदन अग्रेषण अधिकारी को प्रस्तुत करना होता है | अग्रेषण अधिकारी संबंधित प्रभाग/मुख्यालय के उप/सहायक आयुक्त होंगे जो बदले में आवेदन को सीसीए को अग्रेषित करेंगे। आवेदन को अग्रेषित करते समय, अग्रेषण अधिकारी को चिकित्सा आधार पर हवाई अड्डे की पोस्टिंग के लिए प्रतिधारण/अनिच्छा के लिए अधिकारियों द्वारा दावे, यदि अधिकारी द्वारा उल्लेख किया गया हो तो, की प्रामाणिकता को प्रमाणित करना होगा । **अधिकारियों द्वारा एजीटी अभ्यावेदन दाखिल करने की अंतिम तिथि 17.02.2025 है |**

6. एप्लिकेशन के उपयोग पर संदेह के समाधान और स्पष्टीकरण के लिए स्थापना अनुभाग, मुख्यालय, कोच्चि आयुक्तालय के कर्मचारियों से संपर्क किया जा सकता है।

7. यह परिपत्र प्रधान आयुक्त , कोच्चि आयुक्तालय के अनुमोदन से जारी किय जाता है |

[रानी सी.आर.]
अपर आयुक्त[का व सत]

प्रति प्रस्तुत है :

1. **मुख्य आयुक्त, केंद्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र**
2. **आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि/ तिरुवनंतपुरम/कोयिक्कोड/ लेखा परीक्षा,कोच्चि /अपील कोच्चि/ सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय**
3. **प्रधान अपर महानिदेशक /अपर महानिदेशक, डीआरआई क्षेत्रीय इकाई, कोच्चि / डीजीजीआई क्षेत्रीय इकाई, कोच्चि / नासिन, कोच्चि**

प्रति

1. **केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम/कोयिक्कोड/ लेखा परीक्षा,कोच्चि /अपील कोच्चि/ सीमा शुल्क (निवारक)/ अपील कोच्चि आयुक्तालयों के अपर /संयुक्त आयुक्त**
2. **केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि/ तिरुवनंतपुरम/कोयिक्कोड/ लेखा परीक्षा,कोच्चि /अपील कोच्चि/ सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय के मंडल कार्यालयों के प्रभारी उप /सहायक आयुक्त**
3. **केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि/ तिरुवनंतपुरम/कोयिक्कोड/ लेखा परीक्षा,कोच्चि /अपील कोच्चि/ सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय के सभी डीडीओ**
4. **मुख्यालय, कोच्चि के सभी अनुभाग प्रधान**

5. केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र के सभी कर्मचारी संघों के सभी महा सचिव
6. अधीक्षक (सिस्टम्स), मुख्यालय, कोच्चि [वेबसाइट में अपलोड करने हेतु]
7. हिंदी कक्ष [हिंदी रूपांतर हेतु]
8. सूचना पट्ट, मुख्यालय, कोच्चि

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
प्रधान आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/7/1/2020 - ESTT **दिनांक : 28.03.2025**

परिपत्र

विषय : - दि:29.03.2025, दि:30.03.2025 एवं दि:31.03.2025 को कार्यदिवस घोषित करना - सम्बंधित |

कृपया सूचना एवं अनुपालन हेतु उपरोक्त विषय पर सीसीओ का कार्यालय आदेश संख्या 09/2025 दिनांक 28.03.2025 और बोर्ड का पत्र फाइलसं.सीबीआईसी-20019/12/2023-जीएसटी दिनांक 28.03.2025 संलग्न देखें।

[रानी सी.आर.]
अपर आयुक्त[का व सत]

सेवा में

1. **कोच्चि आयुक्तालय के सभी उप /सहायक आयुक्त**
2. **केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मुख्यालय कोच्चि के सभी अनुभाग प्रमुख**
3. **प्रधान अपर महानिदेशक /अपर महानिदेशक, डीआरआई क्षेत्रीय इकाई, कोच्चि / डीजीजीआई क्षेत्रीय इकाई, कोच्चि / नासिन, कोच्चि**

प्रति 1. **संयुक्त आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय**
2. **सहायक आयुक्त(मुआका), मु.कोच्चि -सूचना हेतु**

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
प्रधान आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/3/39/2022-Estt **Date: 07.01.2025**

ORDER NO. 1/2025

Sub: Transfer and posting in the grade of Tax Assistant – Central Tax and Central Excise, Kochi Commissionerate - Reg.

The following transfer and posting in the grade of Tax Assistant is hereby ordered with immediate effect:

Sl. No	Name (S/Shri.)	Date of birth	Transferred	
			From	To
1.	Vivek Biju Bose	29.11.1991	Headquarters Section, Hqrs Kochi and link officer in r/o Shri. Harikrishnan A.R. for CRU work	Sevottam & Headquarters Section, Hqrs Kochi and link officer in r/o Shri. Harikrishnan A.R. for CRU work

2 . The above order should be complied with latest by 15.01.2025 and the compliance reports should reach this office by 20.01.2025.

3. This is issued with the approval of the competent authority.

4. Hindi version follows.

Signed by
Maya Kurian
Date: 07-01-2025 15:41:29

[Maya Kurian]
Deputy Commissioner [P&V]

done 17/03/2025

To

The individual (Through the supervisory officer concerned)

Copy submitted to:

1. **The Principal Commissioner of Central Tax and Central Excise, Kochi.**

Copy to:

1. **The CAO/PAO/AO (DDO), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
2. **The Superintendent (Systems/Vig/Headquarters), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
3. **The Senior Translation Officer, Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
प्रधान आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/1/2024 – Estt **Date: 09.01.2025**

ORDER NO. 2/2025

Sub: Promotion to the grade of Private Secretary - Reg

The following Stenographer Grade-I is hereby promoted to the grade of Private Secretary in Level – 7 in the pay matrix (Rs. 44,900-1,42,400) plus such allowances as may be sanctioned by Government of India from time to time with effect from the date of joining the promoted post.

Sl. No.	Name (S/Shri.)	Date of birth	Present place of posting
1.	Jagadeesh Pillai	15.05.1972	Thiruvananthapuram Commissionerate

2. The officer should join the promoted post on or after **16.01.2025** and latest by **24.01.2025** failing which this order will be treated as cancelled. Refusal, if any, should be submitted in writing immediately. He will have to exercise option for pay fixation in terms of DoPT OMs dated 26.09.1981, 05.07.1999 and 27.07.2017 within one month from the date of joining the promoted post. The option once exercised shall be final.

3. The compliance report by the Controlling Officer/Officer concerned regarding joining/non-joining of the officer should be sent to this office by **31.01.2025**.

4. This is issued with the approval of the competent authority.

5. Hindi version follows.

Signed by
Rani C R
Date: 09-01-2025 12:30:54

[Rani C.R.]
Additional Commissioner [P&V]

done
17/03/2025

To

The individual (Through the supervisory officer concerned)

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise and Customs, Thiruvananthapuram Zone.**
2. **The Principal Commissioner of Central Tax and Central Excise, Kochi.**
3. **The Commissioner of Central Tax and Central Excise, Thiruvananthapuram.**

Copy to:

1. **The Superintendent (Vig/Systems), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
2. **The CAO/PAO/AO (DDO), Central Tax and Central Excise Hqrs, Thiruvananthapuram.**
3. **The Senior Translation Officer, Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
प्रधान आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/24/2020-ESTT

ORDER No. 3/2025

Sub: Transfer & Posting in the cadre of Superintendent, Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone - Reg.

The following transfer & postings in the cadre of Superintendent of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone is hereby ordered with immediate effect.

Sl. No	Name of the Officer (Shri./Smt/Ms)	Date of Birth	From	To
1.	Barada Prasanna Das Mallik	15.07.1978	On return from deputation	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi
2.	Shatrughan Kumar	02.01.1989	On promotion	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kozhikode
3.	Mallajeet Sonowal	26.12.1983	On promotion	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi

2. Controlling officers shall ensure that the officers are relieved from their previous post only after proper relieving/handing over notes are mutually exchanged so as to ensure smooth transition. The officers are to be relieved from their present place of

done 27/03/2025

posting by **31.01.2025**. Controlling officers will be held responsible if the officers are not getting relieved within the stipulated time.

3. This is issued with the approval of the Principal Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise & Customs, Thiruvananthapuram Zone.

4. The controlling officers are to report compliance by **04 .02.2025**

Signed by
Rani C R
Date: 23-01-2025 12:45:45

[Rani C R]
Additional Commissioner [P&V]

To:

The Individual (Through the Supervisory Officer concerned)

Copy submitted to:

1. **The Principal Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise & Customs, Thiruvananthapuram Zone.**
2. **The Principal Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate.**
4. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kozhikode.**

Copy to:

1. **The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise Hqrs. Kozhikode/Kochi.**
2. **The Administrative Officer (DDO), Superintendent (Confl/Vig.), Kochi/Kozhikode.**
3. **The Superintendent (Systems) – for uploading in website.**
4. **Hindi Cell – for Hindi Version.**

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
प्रधान आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/36/2020-ESTT

ORDER No. 4 /2025

Sub: Promotion to the cadre of Superintendent, Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone - reg.

The following Inspector of Central Tax & Central Excise is hereby promoted on ad-hoc and in-situ basis to the cadre of Superintendent of Central Tax & Central Excise, Group 'B' post, in Level-8 of the Pay Matrix (corresponding to pay band of Rs. 9,300-34,800 (PB-2) GP – Rs. 4,800/- in pre-revised scale) plus such allowances as may be applicable with effect from the date of assuming charge of the higher post and until further orders.

Sl. No.	Name(S/Shri/Smt)	Date of Birth
1.	Anuradha Kumari	19.03.1986

2. Since the officer is working on loan basis at DGGI Patna, the officer is allowed the benefit of promotion for the balance period of the loan tenure subject to availability of vacancy in the post of Superintendent in the Directorate as per Board's instructions in F.No. A-11013/18/2024-Ad.IV dated 29.11.2024. In case, vacancy is not available, the promoted officer may be allowed to work as Inspector for the balance loan tenure term. The officer mentioned above should join the higher post on or after **01.02.2025** and not later than **10.02.2025**.

3. The promotion of the Inspectors to the grade of Superintendent is subject to the final outcome of SLP No. 20810/2012 filed by the Department against High Court Order dated 28.03.2012 in OP (CAT) No. 4305/2011, OP (CAT) No. 999/2012, OP (CAT) No.998/2012, OP (CAT) No. 968/2012, O.A. No. 180/00806/2014 in CAT (EB), OA Nos. 523/2023, 527/2023, 543/2023 of CAT (Ernakulam Bench) and the judgment in Civil Appeal arising out of SLP(C) No: 16161/2018 in Hariharan vs Harshavardhan case now

done 17/03/2025

pending with the Larger Bench of the Hon'ble Supreme Court and any other pending cases in concerned Courts/Tribunals.

4. The compliance report about joining/non-joining of the officer should be sent to this office by **14.02.2025**.

5. This is issued with the approval of Principal Commissioner.

6. Hindi version follows.

Signed by
Rani C R
Date: 31-01-2025 17:34:00

[Rani C R]
Additional Commissioner (P&V)

To:

The Individual (Through the Supervisory Officer concerned)

Copy submitted to:

1. The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise & Customs, Thiruvananthapuram Zone.
2. The Principal Commissioner of Central Tax & Central Excise ,Kochi.
3. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kozhikode.
4. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram.
5. The Commissioner of Customs (Preventive), Kochi.
6. The Commissioner of Central Tax & Central Excise (Audit), Kochi.
7. The Commissioner of Central Tax & Central Excise (Appeals), Kochi.
8. The Additional Director General, DGGI/ DRI Zonal Unit , Kochi.
9. The Additional Director General, DGGI Patna.

Copy to:

1. The Administrative Officer (DDO), Superintendent (Confl/Vig.), Kochi.
2. The Superintendent (Systems) – for uploading in website.
3. Hindi Cell – for Hindi Version.

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
प्रधान आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/24/2020-ESTT

ORDER No. 05 /2025

Sub: Transfer & Posting in the cadre of Superintendent and Inspector, Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate - Reg.

The following transfer & postings in the cadre of Superintendent and Inspector of Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate is hereby ordered with immediate effect.

Sl. No	Name of the Officer (Shri./Smt/Ms)	Designation	From	To
1.	Barada Prasanna Das Mallik	Superintendent	UOT to Kochi Commissionerate (On repatriation from deputation)	Arrear/ Training Section, Hqrs Kochi
2.	Mallajeet Sonowal	Superintendent	UOT to Kochi Commissionerate (on promotion)	Audit Section, Hqrs Kochi
3.	Radha Vijayaraghavan	Superintendent	Audit Section, Hqrs Kochi	Chalakudy Division

17/03/2025

4.	Prabodh S	Superintendent	Verification Cell, Hqrs Kochi	Verification Cell / RTI, Hqrs Kochi
5.	Biju M R	Superintendent	DGARM/RTI, Hqrs Kochi	DGARM, Hqrs Kochi
6.	Sumit Kumar Ranjan	Inspector	Review Cell, Hqrs Kochi	Systems section, Hqrs Kochi

2. Controlling officers shall ensure that the officers are relieved from their previous post only after proper relieving/handing over notes are mutually exchanged so as to ensure smooth transition. The officers are to be relieved from their present place of posting by **07.02.2025**. Controlling officers will be held responsible if the officers are not getting relieved within the stipulated time.

3. The officer at Sl.No 6 may be relieved on or after 10 February 2025.

4. This is issued with the approval of the Principal Commissioner of Central Tax, Central Excise , Kochi Commissionerate.

5. The controlling officers are to report compliance by **12.02.2025**

Signed by
Rani C R
Date: 04-02-2025 11:35:06

[Rani C R]
Additional Commissioner [P&V]

To:

The Individual (Through the Supervisory Officer concerned)

Copy submitted to:

1. The Principal Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate.

Copy to:

1. The Assistant Commissioner, Chalakkudy Division.

2. The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central
Excise Hqrs. Kochi.
3. The Administrative Officer (DDO), Superintendent (Confl/Vig.), Kochi Hqrs.
4. The Superintendent (Systems) – for uploading in website.
5. Hindi Cell – for Hindi Version.

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
प्रधान आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/36/2020-ESTT

ORDER No. 06/2025

Sub: Promotion to the cadre of Superintendent, Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone - reg.

The following Inspectors of Central Tax & Central Excise are hereby promoted on ad- hoc and in-situ basis to the cadre of Superintendent of Central Tax & Central Excise, Group 'B' post, in Level-8 of the Pay Matrix (corresponding to pay band of Rs. 9,300- 34,800 (PB-2) GP – Rs. 4,800/- in pre-revised scale) plus such allowances as may be applicable with effect from the date of assuming charge of the higher post and until further orders.

Sl. No.	Name(S/Shri/Smt)	Date of Birth
1	Ravindra Maruti Palkar	16.08.1982
2	Vipin Yadav	02.10.1986
3	Pardeep Kumar	20.03.1991
4	Nishant Saxena	28.08.1990
5	Ajeet Kumar Gupta	07.09.1990

2. The promotion of the Inspectors to the grade of Superintendent is subject to the final outcome of SLP No. 20810/2012 filed by the Department against High Court Order dated 28.03.2012 in OP (CAT) No. 4305/2011, OP (CAT) No. 999/2012, OP (CAT) No.998/2012, OP (CAT) No. 968/2012, O.A. No. 180/00806/2014 in CAT (EB), OA Nos. 523/2023, 527/2023, 543/2023 of CAT (Ernakulam Bench) and the

done 17/03/2025 14/05/2025 21/05/2025

judgment in Civil Appeal arising out of SLP(C) No: 16161/2018 in Hariharan vs Harshavardhan case now pending with the Larger Bench of the Hon'ble Supreme Court and any other pending cases in concerned Courts/Tribunals.

3. The Officers at Sl. No 1 & 2 can assume the charge immediately and not later than 10.03.2025. The others shall assume charge on or after 01.03.2025 and not later than 10.03.2025. As the Officers at Sl.No. 2, 4 & 5 are posted on deputation basis outside Thiruvanathapuram Zone, they shall assume the charge of Superintendent only after re-joining the parent Zone, and not later than 10.03.2025.

4. The compliance report about joining/non-joining of the officers should be sent to this office by 12.03.2025.

5. This is issued with the approval of the Principal Commissioner.

6. Hindi version follows.

Signed by Kommisetty Muralidhar
Date: 04-03-2025 19:08:58

[Kommisetty Muralidhar]
Joint Commissioner

To:

The Individual (Through the Supervisory Officer concerned)

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise & Customs, Thiruvananthapuram Zone.**
2. **The Additional Director General, Directorate General of Enforcement, Room No. 111, 'A' Block, Pravartan Bhawan, Dr. A. P. J. Abdul Kalam Road, New Delhi – 110011.**
3. **The Additional Director General, Directorate General of GST Intelligence, West Block 8, Wing No. 6, 2nd Floor, R. K. Puram, New Delhi-110 066**
4. **The Principal Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kochi.**
5. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram/Kozhikode/Audit Kochi/Appeals**
6. **The Commissioner of Customs (Preventive) Kochi**

Copy to:

1. **The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise Hqrs. Kochi/Thiruvananthapuram/Kozhikode.**

2. **The Administrative Officer (DDO), Superintendent (Confl/Vig.), Kochi/Thiruvananthapuram/Kozhikode.**
3. **The Superintendent (Systems) – for uploading in website.**
4. **Hindi Cell – for Hindi Version.**

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
प्रधान आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/3/41/2020-Estt **Date: 12.03.2025**

ORDER NO. 7/2025

Sub: Work Allocation among Deputy/Assistant Commissioners of Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate – Reg.

Consequent on issue of Office Order No.01/2025 (DGHRD/AC-DC/13/2025) dated 27.01.2025 by the Chief Commissioner, Central Tax, Central Excise and Customs, Thiruvananthapuram Zone, the following work allocation/link officers among Deputy/Assistant Commissioners of Central Tax and Central Excise, Kochi Commissionerate is hereby ordered:

Sl. No.	Name of Officer (S/Shri./Smt.)	Charges Assigned	1st Link	2nd Link
1.	Maya Kurian	P&V, Administration, Accounts & Systems	Sarath Chandran M.	Shanthi V.
2.	R. Shyju	Adjudication	K.P. Suresh Kumar	Sarath Chandran M.
3.	Ranjit Santakumar	Review, Infrastructure, Welfare, Sports & Headquarters	Subha Chandran	Raja Tomy
4.	Subha Chandran	Tax Arrear Recovery	Raja Tomy	Ranjit Santakumar
	Sarath Chandran M.	Anti Evasion, Prosecution, Verification Cell, Technical,	Maya Kurian	Subha Chandran

done 17/03/2025 23/05/2025

		Parliament Questions & Statistics		
6.	Raja Tomy	CRU, OLIC, RTI (CPIO), Training & Sevottam.	Shanthi V.	K.P. Suresh Kumar
7.	Shanthi V.	Legal	Ranjit Santakumar	Maya Kurian
8.	K.P. Suresh Kumar	DGARM & Audit	R. Shyju	Subha Chandran
9.	Maya Chandran	Aluva Division	Beena Vas S.	Ramaswamy S.
10.	Sudarshan Nanasaheb Sonawane	Ernakulam Division	Ramaswamy S.	Marykutty Chacko
11.	Ramaswamy S.	Kakkanad Division	Marykutty Chacko	Sudarshan Nanasaheb Sonawane
12.	Beena Vas S.	Chalakudy Division	Sasidharan	Michael T.H.
13.	Sasidharan	Thrissur Division	Maya Chandran	Beena Vas S.
14.	Marykutty Chacko	Perumbavoor Division	Michael T.H.	Sasidharan
15.	Michael T.H.	Idukki Division	Marykutty Chacko	Ramaswamy S.

2. In addition to the charges assigned, the officers shall attend to any other work assigned by the controlling officer from time to time.

3. This is issued with the approval of the Principal Commissioner of Central Tax and Central Excise, Kochi.

4. Hindi version follows.

Signed by
Rani C R
Date: 12.03.2025 13:42:57

[Rani C.R.]
Additional Commissioner [P&V]

To

The individuals.

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise and**

Customs, Thiruvananthapuram Zone.

Copy to:

1. **All Additional/Joint Commissioners, Central Tax and Central Excise, Kochi Commissionerate.**
2. **All Deputy/Assistant Commissioners, Central Tax and Central Excise, Kochi Commissionerate.**
3. **All Section Heads in Central Tax and Central Excise Headquarters, Kochi.**
4. **The Superintendent (Systems), Central Tax and Central Excise Headquarters, Kochi – for uploading on website.**

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
प्रधान आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/3/39/2022-Estt **Date: 17.03.2025**

ORDER NO. 8/2025

Sub: Transfer and postings in the grades of Executive Assistant/ Tax Assistant/Head Havaldar/Havaldar – Central Tax and Central Excise, Thiruvananthapuram Zone - Reg.

The following transfer and postings in the grades of Executive Assistant/Tax Assistant/Head Havaldar/Havaldar are hereby ordered with immediate effect:

Sl. No	Name (S/Shri./Smt.)	Date of birth	Transferred	
			From	To
1.	Jini Rasak V.A., EA	23.06.1989	Central Tax & Central Excise, Audit Commissionerate, Kochi	CCO-CCA
2.	Kiran G. Pillai, TA	14.10.1990	CCO-CCA	Central Tax & Central Excise, Audit Commissionerate, Kochi
3.	Rama Krishna Mekala, Havaldar	14.05.1998	Customs (Preventive) Commissionerate, Cochin	CCO-CCA
4.	Jose Antony, Head Havaldar	15.04.1972	UOT to (Airport/UB/I&E, Thiruvananthapuram) Customs (Preventive) Commissionerate, Cochin.	Retained at Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate

20/03/2025
26/05/2025

2 . The above order should be complied with latest by 24.03.2025 and the compliance report should reach this office by 28.03.2025.

3. This is issued with the approval of Chief Commissioner,Central Tax, Central Excise & Customs, Thiruvananthapuram Zone.

4. Hindi version follows.

Signed by
Rani C R
Date: 17-03-2025 10:24:56

[Rani C.R.]
Additional Commissioner [P&V]

To

The individuals (Through the supervisory officers concerned)

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise and Customs, Thiruvananthapuram Zone.**
2. **The Principal Commissioner of Central Tax and Central Excise, Kochi.**
3. **The Commissioner of Central Tax and Central Excise, Audit, Kochi.**
4. **The Commissioner of Customs , Customs Preventive, Cochin.**

Copy to:

1. **The CAO/PAO/AO (DDO), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi/Audit/CCP.**
2. **The Superintendent (Systems/Vig.), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
3. **The Senior Translation Officer, Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
प्रधान आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/3/39/2022-Estt **Date: 18.03.2025**

ORDER NO. 9/2025

Sub: Transfer and posting in the grade of Head Havaldar – Central Tax and Central Excise, Kochi Commissionerate - Reg.

The following transfer and posting in the grade of Head Havaldar is hereby ordered with immediate effect:

Sl. No	Name (S/Shri.)	Date of birth	Transferred	
			From	To
1.	Jose Antony	15.04.1972	Kakkanad Division	Headquarters Kochi

2 . The above order should be complied with latest by 21.03.2025 and the compliance report should reach this office by 25.03.2025.

3. This is issued with the approval of the competent authority.

4. Hindi version follows.

Signed by
Maya Kurian
Date: 19-03-2025 14:02:58
[Maya Kurain]
Deputy Commissioner [P&V]

To

The individual (Through the supervisory officer concerned)

Copy submitted to:

1. **The Principal Commissioner of Central Tax and Central Excise,**

done 20/03/2025 26/05/2025

Kochi.

Copy to:

1. **The CAO/PAO/AO (DDO), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
2. **The Administrative Officer, Central Tax and Central Excise, Kakkanad Division.**
3. **The Superintendent (Systems/Vig.), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
4. **The Senior Translation Officer, Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
प्रधान आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

F.No: II/(3)/APPT/25/2020-ESTT

ORDER No. 10/2025

Sub: Proforma Promotion to the cadre of Superintendent, Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone - reg.

The following Inspector of Central Tax & Central Excise, who is presently working on deputation has been granted Proforma Promotion to the grade of Superintendent of Central Tax & Central Excise, Group 'B' post, in Level-8 of the Pay Matrix plus such allowances as may be applicable with effect from 04.03.2025 i.e., date of order of promotion.

Sl. No.	Name(S/Shri/Smt)	Present Place of Posting	Time limit within which the officer should re-join the parent cadre
1.	Ajeet Kumar Gupta	Enforcement Directorate, Allahabad Sub Zone	27.02.2027

2. The above mentioned officer working on deputation may continue to work at the lower post in the borrowing organisation with his seniority and pay in Superintendent cadre protected in parent cadre.

3. The effective date of promotion for the purpose of seniority shall remain the date of order of promotion (i.e. 04.03.2025).

4. No further extension of deputation period, beyond what is approved, shall be allowed for above mentioned officer opting for proforma promotion.

5. If the officer does not accept proforma promotion or does not return to accept regular promotion, it shall be deemed that the officer has refused promotion.

Rel dtd 26/05/2025 27/05/25

6. This order is issued with the approval of the Chief Commissioner, Central Tax, Central Excise & Customs, Thiruvananthapuram Zone.

Signed by
Rani C R
Date: 28-03-2025 13:18:22

[Rani C R]
Additional Commissioner [P&V]

To:

The Individual (Through the Supervisory Officer concerned)

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise & Customs, Thiruvananthapuram Zone.**
2. **The Additional Director General, Directorate General of Enforcement, Room No. 111, 'A' Block, Pravartan Bhawan, Dr. A. P. J. Abdul Kalam Road, New Delhi – 110011.**
3. **The Principal Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kochi.**

Copy to:

1. **The Joint Director, Directorate of Enforcement, Allahabad Sub - Zonal Office, 6th Floor, CTO Compound, Civil Lines, Nawab Yusuf Road, Prayagraj-211001**
2. **The Superintendent (Systems) – for uploading in website.**
3. **Hindi Cell – for Hindi Version.**

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
प्रधान आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/2/2024-ESTT

CIRCULAR

Sub: AGT 2025 - Updation of data in eSevanidhi App by the officers under Thiruvananthapuram Zone – reg.

All the officers of Group B and Group C cadres working under Thiruvananthapuram Zone are requested to update their personal data and history of postings in eSevanidhi App (esevanidhi.in/login) immediately. For logging in to the application, the officer can use his PAN as his username and the password created earlier. For newly registered officers, the default password is 'cca2023'. It is necessary for the officers to change their password using the 'Change Password' option available in the top right drop down menu of the login screen.

2 Since the personal data and history of postings of officers have been migrated from the data available with the Department, all officers were requested to verify their personal data and history of postings during the time of AGT 2022 and make necessary changes, wherever needed. However, while processing the applications for Annual General Transfers in subsequent years, it was noticed that few officers had not updated their data properly. Hence all the officers are requested to go through their

personal data and history of postings and update the same properly. In the fields where 'Migrated' is shown, correct data must be entered from the drop-down menus available. The details of different drop-down menus under the 'Officer' module are given in the Annexure to this circular. **After updation/addition of data, the officer should thoroughly verify the entire data for its correctness.**

3 After editing and updating the data, the same may be submitted for verification to the Verification Officer who will be the Administrative officer of the concerned Division/Headquarters. For submitting the data for verification, the officer has to go to the 'AGT' module and select 'Message' in drop down. Click on 'Add Message' button, select the concerned verification officer from the drop-down menu, type a message requesting for verification and 'Save' the same. If the name of the Administrative Officer is not available in the drop-down menu, the matter may be intimated to the Establishment Section of Kochi Commissionerate for updation.

4 The Administrative Officers will have to login using their login credentials and the verification requests received can be seen in the 'Verification' drop down menu of 'CCA' module. The requests received should be verified with the data in the service book of the officer for its veracity. If the officer from whom the request has been received is not under his/her charge or the same has not been properly updated, the request can be returned back to the officer. All the Administrative Officers are requested to get their details as well as the forwarding officer (Deputy/Assistant Commissioner of the concerned division/headquarter) details updated in the verification/forwarding modules.

5 The submission/verification of personal data and history of postings should be completed latest by 21.01.2025.

6 After completion of this verification process, the Annual General Transfer module will be activated for the officers for online filing of AGT proforma.

7 The officers and staff of Establishment/Systems Sections can be contacted by the officers for seeking support, if needed, for updation of personal data and history of postings.

8 Submitting false/wrong/incomplete data will be viewed seriously. Due diligence may be exercised by the officers in updation of data and the administrative officers while verification of the data.

Signed by
Rani C R
Date: 01-01-2025 13:02:20
(Rani C R)
Additional Commissioner [P&V]

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise &Customs, Thiruvananthapuram Zone**
2. **The Principal Commissioner/Commissioner of Central Tax and Central Excise, Kochi/ Thiruvananthapuram/Kozhikode/Audit, Kochi /Appeals, Kochi/ Customs (Preventive) Commissionerate**
3. **The Additional Director General, DRI Zonal Unit, Kochi/DGGI Zonal Unit, Kochi/NACIN, Kochi.**

Copy to:

1. **The Additional/ Joint Commissioners of Thiruvananthapuram/ Kozhikode, Audit, Kochi/ Customs (Preventive)/Appeals, Kochi Commissionerate**
2. **The Deputy/ Assistant Commissioners in charge of Divisions of Kochi/ Thiruvananthapuram/ Kozhikode, Audit, Kochi/ Customs (Preventive) Commissionerate**
3. **All DDOs of Kochi/ Thiruvananthapuram/ Kozhikode, Audit, Kochi/Appeals/ Customs (Preventive) Commissionerate**
4. **All Section Heads in Headquarters Office, Kochi**
5. **All General Secretaries of Staff Associations of Central Tax and Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.**
6. **The Superintendent, Systems, Hqrs, Kochi (For uploading in website)**
7. **Hindi Cell (for Hindi version)**
8. **Notice Board, Hqrs. Office, Kochi.**

ANNEXURE

In the Officer module in the home screen of the application, the following drop-down modules are available

(i) Officer

The 'Edit Officer' button can be clicked for editing/entering the data. The 'First Name' field and the 'Last Name' field are mandatory fields. Out of the remaining fields, the following are mandatory.

- Mobile Number
- Designation
- Zone
- Commissionerate
- Division
- Range
- Category
- Cadre
- Home Town

The remaining fields are non-mandatory.

(ii) Personal

The 'Edit Personal' button can be clicked for entering the marital status and employment details of spouse.

(iii) Posting

History of Posting has been migrated from the old data available with the department. The officers have to verify each entry for their correctness and the details can be edited using the 'Edit' button available on the right-hand side of each row. The fields viz. Station, Designation, From date, To date, Cadre, Zone, Commissionerate, Division and Range can be edited by the officer. The details of new postings can be added using the 'Add Posting' button. The name 'Migrated' may be appearing in some fields which has not taken data from the old database and the same is to be changed with the correct names as applicable.

(iv) Training

The details of trainings attended can be added using the 'Add Training' button.

(v) Promotion

The details of promotions can be added using the 'Add Promotion' button.

(vi) Awards

The details of awards received can be added using the 'Add Award' button.

(vii) Education

The details of education qualifications can be added using the 'Add Education' button.

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
प्रधान आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II(3)/27/2024-Estt

CIRCULAR No 2 (AGT 2025)

Sub: Annual General Transfer (AGT), 2025 in Central Tax and Central Excise Commissionerates in Thiruvananthapuram Zone – reg.

In continuation to this office Circular dated 01.01.2025 regarding updation of data in eSevanidhi App, the following instructions are issued for submission of options by the officers for consideration in Annual General Transfer 2025.

2 The Annual General Transfer module has been activated in eSevanidhi App for the officers for online filling of AGT proforma. All officers are directed to submit their transfer/retention requests in the proforma which has made available in website **'http://esevanidhi.in'** for considering their cases in Annual General Transfer, 2025. After logging in to eSevanidhi application, the officer can access the AGT application from the AGT module available in the home screen. In the AGT module, the following drop down modules are available

done 27/05/2025

(i) AGT

The representation for consideration in AGT 2025 can be given by the officers in this drop down module. After clicking on 'AGT', 'Add application' has to be selected to get access to the AGT proforma. Here the officers can give the following preferences:

- Option for Commissionerates, if willing for ICT
- Retention at the present station or option for other stations
- Reason for retention/request for specific station. Medical issues, if any, can be given here
- Option for location of Airports
- Whether worked in Airport/UB/ACC(I&E) previously
- Willingness for DGGI formations
- Willingness for DRI formations
- Willingness for NACIN Kochi
- Willingness for posting to Kavaratti Range, Lakshadweep UT

(ii) Past Applications

Here the officers can view their past AGT applications.

(iii) Submit Application

The officers can save the AGT application and make edit in the same. Once application is submitted, no edit can be made. After submit, the application automatically goes for verification.

3 All officers are directed to compulsorily give their request online since all representations received till date has been disposed of. **In case of officers who do not submit the transfer proforma, it will be presumed that they are willing to be posted anywhere under the jurisdiction of Thiruvananthapuram Zone**.

4 The options given in the transfer proforma will be taken into consideration while issuing the transfer orders. If officers are not

choosing their options, it will be presumed that they can be considered for posting as per the availability of vacancies.

5 After verification, the Administrative Officer has to submit the application to the Forwarding Officer. The Forwarding Officer will be the Deputy/Assistant Commissioner of the respective Division/Headquarters who in turn shall forward the application to the CCA. While forwarding the application, the forwarding officer will have to certify the authenticity of claim by officers for retention/non-willingness for Airport postings on medical grounds, if mentioned by the officer. **The last date for filing of the AGT representations by officers is 17.02.2025.**

6 For resolution of doubts and clarification on the usage of the application the staff of Establishment Section, Headquarters, Kochi Commissionerate can be contacted.

7 This is issued with the approval of the Principal Commissioner, Kochi Commissionerate.

Signed by
Rani C R
Date: 28-01-2025 11:12:46

(Rani C R)
Additional Commissioner (P&V)

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise & Customs, Thiruvananthapuram Zone, Kochi**
2. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise Thiruvananthapuram/Kozhikode/Audit, Kochi /Appeals, Kochi**
3. **The Commissioner of Customs, Customs (Preventive), Cochin**
4. **The Additional Director General, DRI Zonal Unit, Kochi/DGGI Zonal Unit, Kochi/NACIN, Kochi**

Copy to:

1. **The Additional/ Joint Commissioners of Thiruvananthapuram/ Kozhikode, Audit, Kochi/ Customs (Preventive)/Appeals, Kochi Commissionerate**
2. **The Deputy/ Assistant Commissioners in charge of Divisions of Kochi/ Thiruvananthapuram/ Kozhikode, Audit, Kochi/ Customs (Preventive) Commissionerate**
3. **All DDOs of Kochi/ Thiruvananthapuram/ Kozhikode, Audit, Kochi/ Customs (Preventive) Commissionerate**
4. **All Section Heads in Headquarters Office, Kochi**
5. **All General Secretaries of Staff Associations of Central Tax and Central Excise, Thiruvananthapuram Zone**
6. **The Superintendent, Systems, Hqrs, Kochi (For uploading in website)**
7. **Notice Board, Hqrs. Office, Kochi**

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
प्रधान आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018
E-mail: cexcochi@nic.in Fax: 0484-2390608 Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/7/1/2020-Estt **Date: 28.03.2025**

Circular

Sub: Working days on 29.03.2025, 30.03.2025 and 31.03.2025 - Reg.

Please find enclosed CCO's Office Order No. 09/2025 dated 28.03.2025 and Board's letter F. No. CBIC-20019/12/2023-GST dated 28.03.2025 on the above subject for information and compliance.

Signed by
Rani C R
Date: 28-03-2025 16:14:31

[Rani C.R.]
Additional Commissioner [P&V]

To

1. **All Deputy/Assistant Commissioners in Kochi Commissionerate.**
2. **All Section Heads in Central Tax and Central Excise, Hqrs Kochi.**

Copy to:

1. **The Joint Commissioner, Central Tax and Central Excise, Kochi Commissionerate.**
2. **The Assistant Commissioner (CCO), Hqrs Kochi - for information.**

27/03/2025